रजिस्ट्री सं. डी--(डी एन)-128/89 REGISTERED NO. D—(DN)—128/89

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 36] नई दिल्ली, शनिवार, सितम्बर 9, 1989 (भाद्रपद 18, 1911)
No. 36] NEW DELHI, SATURDAY, SEPTEMBER 9, 1989 (BHADRA 18, 1911)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 4
[PART III—SECTION 4]

सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई विविध अधिसूचनाएं जिसमें कि आदेश, विज्ञापन और सूचनाएं सम्मिलित हैं

[Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies]

बैंक ऑफ बड़ौदा
औद्योगिक संबंध अनुभाग
कार्मिक प्रभाग
"प्रधान कार्यालय"
बड़ौदा-390006, दिनांक 12 जुलाई 1989

सं० प्र०का० अ०सं०वि० एवं औ० सं० 27/108:1040—बैंक ऑफ बड़ौदा का निदेशक मंडल बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अधिग्रहण एवं अंतरण अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से इसके द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 को संशोधित करने हेतु निम्नलिखित विनियम बनाता है :—

2. संक्षिप्त नाम व प्रारम्भ

(i) ये विनियम बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम, 1976 कहलायेंगे ।

(ii) ये विनियम सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे ।

3. विनियम 11 में संशोधन

बैंक ऑफ बड़ौदा अधिकारी कर्मचारी (अनुशासन एवं अपील) विनियम 1976 के विनियम 11 में निम्नलिखित जोड़ा जाता है :—

"परन्तु प्रस्तावित दण्ड को अधिरोपित करने का कोई भी आदेश देने से पूर्व अधिकारी कर्मचारी को अभ्यावेदन देने का मौका दिया जायगा ।"

जे० एन० टंडन,
उप महाप्रबंधक
(कार्मिक व औ० सं०)

विजया बैंक

कार्मिक विभाग

प्रधान कार्यालय

बेंगलूर—560001, दिनांक 20 जुलाई 1989

सं० 3952—बैंकिंग कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन व अंतरण) अधिनियम 1980 (1980 का 40) की धारा 19 द्वारा दिये गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विजया बैंक का निदेशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श कर, केन्द्र सरकार की पूर्व संस्वीकृति से विजया बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1982 में निम्नलिखित संशोधन करता है :—

2. संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ

(1) इन विनियमों को विजया बैंक (अधिकारी) सेवा (चौथा संशोधन) विनियम, 1982 कहा जायेगा।

(2) ये विनियम 20 अगस्त, 1988 से लागू होंगे।

विनियम 23 (i)

20-8-1988 को और उसी तारीख से विनियम 23, (i) के स्थान पर, निम्नलिखित विनियम लागू होगा :—

"अगर वह नीचे की तालिका के स्तंभ 1 में उल्लिखित स्थान पर काम कर रहा है तो, उस स्थान के सामने स्तंभ 2 में सूचित दर से नगर प्रतिकर भत्ता दिया जायेगा"।

स्थान (1)	दर (2)
(क) ऐसे स्थान जो क्षेत्र I तथा गोवा राज्य में हैं	मूल वेतन का 10 प्रतिशत जबकि अधिकतम प्रतिमाह 200/- रु० होगा।
(ख) ऐसे स्थान, जिनकी जनसंख्या 5 लाख व उससे अधिक हो, राज्य की राजधानियां तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी तथा पोर्ट ब्लेयर (जिनको ऊपर (क) में शामिल न किया गया हो)।	मूल वेतन का 6 प्रतिशत जबकि अधिकतम प्रतिमाह 120/- रु० होगा।

सी० एच० श्रीधरन,
महा प्रबंधक (प्रशासन)

सिंडिकेट बैंक

औद्योगिक संबंध प्रभाग

कार्मिक विभाग

प्रधान कार्यालय

मणिपाल, दिनांक 28 जुलाई 1989

सं० 752/एस/0090/पी० डी०/आई० आर० डी०—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम 1970 (1970 का 5), की धारा 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए सिंडिकेट बैंक के निर्देशक मंडल, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के आधार पर, सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा विनियमन, 1979 को आगे संशोधित करने के लिए एतद्-द्वारा निम्नवत् विनियमन करते हैं :—

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ

(i) इन विनियमन को सिंडिकेट बैंक (अधिकारी) सेवा (संशोधन) विनियमन, 1989 कहा जाएगा।

(ii) सरकारी राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से वे लागू होंगे।

(iii) संशोधन का विवरण :

वर्तमान विनियमन 23 (i) को निम्नप्रकार से संशोधित किया जाता है :—

"20-8-88 को और उस तारीख से, यदि वह निम्न तालिका के स्तंभ "1" में उल्लिखित स्थान में कार्यरत है तो, स्तंभ "2" में उस स्थान के विरुद्ध उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता देय है।

स्थान	दर
(क) क्षेत्र I और गोवा राज्य के स्थान	मूल वेतन के 10 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 200 रु० प्र० मा०
(ख) 5 लाख और उससे अधिक आबादी वाले स्थान और राज्य की राजधानी और चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लेयर उक्त (क) के अंतर्गत न आने वाले स्थान	मूल वेतन के 6 प्रतिशत लेकिन अधिकतम 120 रु० प्र० मा०

के० सी० पै०
महा प्रबंधक (का व मे)

इंडियन बैंक

केन्द्रीय कार्यालय

कार्मिक विभाग

मद्रास-600001, दिनांक 25 अगस्त 1989

सं० 13—इंडियन बैंक का निदेशक मंडल, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970 (1970 का 5) की धारा 19 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श करके और केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी से, इंडियन बैंक अधिकारी सेवा विनियम 1979 में आगे संशोधन करने के लिए एतद्द्वारा निम्नलिखित विनियम बनाता है।

2. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ—इन विनियमों का नाम इंडियन बैंक अधिकारी सेवा विनियम 1979 होगा।

शासकीय राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को ये लागू होंगे।

3. संशोधनों के विवरण सूचित किये जाएं : इंडियन बैंक (अधिकारी) सेवा विनियम, 1979- विनियम 23 (i) का संशोधन।

ऊपर सूचित संशोधित विनियम संलग्न हैं।

इंडियन बैंक अधिकारी सेवा विनियमन 1979

विनियमन 23 (i) अधिकारी निम्नलिखित अन्य भत्तों के लिए पात्र होंगे, यथा—

(i) 20-8-1988 या उस तारीख से, यदि वह निम्नलिखित सारणी के कालम-1 में उल्लिखित स्थान में कार्य करते हैं, तो उस स्थान के आगे कालम 2 में उल्लिखित दर पर नगर प्रतिकर भत्ता।

स्थान	दरें
1	2
(क) एरिया-1 तथा गोआ राज्य में स्थित स्थान	प्रति महीने अधिकतम रु० 200/- के अध्यधीन मूल वेतन का 10 प्रतिशत
(ख) उपर्युक्त (क) द्वारा कवर न किये गए 5 लाख और उससे अधिक की आबादी वाले स्थान तथा राज्य के मुख्य नगर तथा चंडीगढ़, पांडिचेरी और पोर्ट ब्लयर	प्रति महीने अधिकतम रु० 120/- के अध्यधीन मूल वेतन का 6 प्रतिशत।

टी० के० सुब्रमणियन,
सहायक महाप्रबंधक

भारतीय चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार संस्थान

बम्बई-400005, दिनांक 28 जुलाई, 1989

सं० 3 डब्ल्यू सी० ए० (8)/8/89-90—चार्टर्ड प्राप्त लेखाकार विनियम, 1988 के विनियम 10(1) खण्ड (तीन) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि, निम्नलिखित सदस्यों को जारी किए प्रैक्टिस प्रमाणपत्र उनके आगे दी गई तिथियों से रद्द कर दिए गए हैं, क्योंकि वे अपने प्रैक्टिस प्रमाणपत्र को रखने के इच्छुक नहीं हैं।

क्रम सं०	सदस्यता सं०	नाम एवं पता	दिनांक
1	2	3	4
1.	994	श्री एन० के धाबर, एफ० सी० ए०, इम्पीरियल महल, ब्लॉक "बी" 807, डा० अम्बेडकर रोड़, धादर, बम्बई-400014	13-7-89
2.	38260	श्री नितीन आर देसाई, ए० सी० ए०, 7, नवनर्जन, देना बैंक समीर, दफ्तरी रोड़, मलाड (ईस्ट) बम्बई-400097	12-7-89

एम० सी० नरसिम्हन,
सचिव

कर्मचारी राज्य बीमा निगम

नई दिल्ली, दिनांक 25 अगस्त, 1989

सं० यू०-16/53/1/89-चि०-II—महाराष्ट्र कर्मचारी राज्य बीमा (साधारण) विनियम, 1950 के विनियम 105 के तहत महानिदेशक को निगम की शक्तियां प्रदान करने के प्रबंध में कर्मचारी राज्य बीमा निगम की दिनांक 25 अप्रैल, 1951 को हुई बैठक में पास किए गए संकल्प के अनुसरण में तथा महानिदेशक के आदेश संख्या 1024 (जी) दिनांक 23-5-1983 द्वारा ये शक्तियां आगे मुझे सौंपी जाने पर मैं इसके द्वारा डा० (श्रीमती) आर० पी० रेगे को नासिक क्षेत्र में बीमाकृत व्यक्तियों की स्वास्थ्य परीक्षा करने तथा मूल प्रमाण पत्र की सत्यता संदिग्ध होने पर आगे प्रमाण पत्र जारी करने के प्रयोजन के लिए 1-10-89 से एक वर्ष की अवधि तक या किसी पूर्णकालिक चिकित्सा निर्देशी के कार्यभार ग्रहण करने तक, इनमें से जो भी पहले हो, मौजूदा मानकों के अनुसार मासिक पारिश्रमिक पर चिकित्सा प्राधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करता हूं।

डा० कृष्णमोहन सक्सेना,
चिकित्सा आयुक्त

संचार मंत्रालय

डाक विभाग

नई दिल्ली-110001, दिनांक 25 अगस्त, 1989

सूचना

सं० 25-22/89/एल० आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है। निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है। सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें।

क्रम सं०	पालिसी सं०	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि (रुपये)
1.	एन ई 683-पी ई० ए०-55		श्री कन्हई लाल बरई	10,000

सं० 25-11/89-एल० आई०—विभाग की अभिरक्षा से गुम हुई निम्नलिखित डाक जीवन बीमा पालिसियों के बारे में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि उनका भुगतान रोक दिया गया है । निदेशक, डाक जीवन बीमा, कलकत्ता को बीमाकर्त्ताओं के नाम दुहरी पालिसियां जारी करने के लिए प्राधिकृत कर दिया गया है ।

सर्वसाधारण को चेतावनी दी जाती है कि वे मूल पालिसियों के बारे में लेन-देन न करें –

क्रम सं०	पालिसी सं०	दिनांक	बीमाकर्त्ताओं का नाम	राशि (रुपये)
1	49693—सी एल०पी; 70	4-6-53	श्री एस टी पीरन	5,000/-
2	30718-सी	23-6-47		1,000/-

ज्योत्सना घोष,
निदेशक (पी० एल० आई०)

पाण्डिचेरी विश्वविद्यालय

दिनांक 24 अगस्त, 1989

सं० पी० यू०ए० सी० ए०—4/355/89/7559

मूल संविधि 1 के बदले संविधि 1 के रूप में निवेशन के लिए

कुलपति की नियुक्ति की संविधियां

(अधिनियम के अनुभाग 12 (1) व 42 (अ)

कुलपति

1(1) विद्या क्षेत्र में, या सार्वजनिक जीवन में देश भर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों में से कार्यकारिणी समिति की ओर से सिफारिश किए जाने वाले कम से कम तीन व्यक्तियों की नामिका से पांडिचेरी विश्वविद्यालय के कुलाध्यक्ष से कुलपति नियुक्ति किए जायेंगे ।

परन्तु सिफारिश किए गए नामों का कुलाध्यक्ष अनुमोदन न करें तो कार्यकारणी समिति से नए सिफारिश के लिए मांग कर सकती है ।

(2) कुलपति की पदावधि पांच वर्ष के लिए होगी और वे पुनर्नियुक्ति के लिए योग्य रहेंगे ।

परन्तु पदावधि की समाप्ति के अतिरिक्त जब तक उत्तराधिकारी नियुक्त होंगे तब तक कुलपति कार्यभार सम्भालेंगे ।

नयी संविधि 1 (अ) के रूप में निवेशन के लिए

उपकुलपति की नियुक्ति की संविधियां

(अधिनियम के अनुभाग 13 (1) व 42 (अ)

उपकुलपति

1. (अ) (1) खंड (2) के आधार पर संस्थापित समिति जिन व्यक्तियों की सिफारिश करती है कम से कम तीन व्यक्तियों की नामिका में से एक कुलाध्यक्ष के उपकुलपति के पद पर नियुक्त किये जायेंगे और नामिका जिसा किसी वरीयता के वर्णमाला क्रम में तैयार की जायेगी ।

परन्तु उस नामिका में किसी नाम का कुलाध्यक्ष अनुमोदन न करें तो नयी नामिका मंगा सकते हैं ।

(2) खंड एक में उल्लिखित समिति में तीन व्यक्ति प्रविष्ट होंगे जिन में से कोई भी विश्व विद्यालय के कर्मचारी न होंगे, कोर्ट के सदस्य न होंगे, कार्यकारिणी परिषद या विद्यापरिषद के सदस्य न होंगे या विश्वविद्यालय से प्रस्वीकृत या संबंद्ध संस्थाओं से सम्बन्ध रखते न हों । इन तीन व्यक्तियों में से दो कार्यकारिणी परिषद से मनोनीत होंगे और एक कुलाध्यक्ष से मनोनीत होंगे और कुलाध्यक्ष से मनोनीत व्यक्ति समिति के संयोजक होंगे ।

अन्य खंड पूर्ववत रहेंगे ।

नयी संविधि के रूप में प्रविष्ट करके 10 (अ) संख्यांकित हो

कोर्ट के संस्थापन की नई संविधि

(अनुभाग 20 (1) अधिनियम)

कोर्ट

(1) कोर्ट में निम्नलिखित सदस्य प्रविष्ट होंगे ।

नामानुसार :—

पदेन सदस्य :

1. उपकुलपति
2. अध्ययन के निदेशक शैक्षणिक खोज, ग्राम्य पुनर्निर्माण के निदेशक
3. संस्कृति और सांस्कृतिक संबंधों के निदेशक
4. शारीरिक शिक्षा, खेल कूद, राष्ट्रीय सेवा और छात्र कल्याण के निदेशक ।
5. वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रम में उपकुलपति से मनोनीत दो विद्यालयों के अध्यक्ष ।
6. वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रम उपकुलपति से मनोनीत दस विभागाध्यक्ष ।
7. कुलसचिव
8. पुस्तकपाल
9. वित्त अधिकारी

आचार्यों के प्रतिनिधि

10. विश्व विद्यालय के दो आचार्य जो डीन की कोटि के न हों, दो उपाचार्य जो विभागाध्यक्ष न हों, और दो प्राध्यापक वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रम के उपकुलपति द्वारा मनोनीत होंगे ।

कालेज/विश्वविद्यालय विशेषाधिकार में प्रविष्ट संस्थाओं के प्रतिनिधि

11. पांच प्रधानाचार्य/महाविश्वविद्यालय के निदेशक/विश्वविद्यालय विशेषाधिकार में प्रविष्ट संस्थाओं में से घुमावदार क्रम से उपकुलपति द्वारा मनोनीत ।

संसद के प्रतिनिधि

12. लोक सभा के अध्यक्ष से मनोनीत एक, राज्य सभा के अध्यक्ष से मनोनीत एक कुल दो संसद के सदस्य ।

चतुर पेशेवार व विशेष अभिरुचि रखने वाले व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व

13. कुलाध्यक्ष से चतुर पेशेवार व विशेष अभिरुचि रखने वाले दस व्यक्ति, मनोनीत होंगे जिनमें उद्योग, वाणिज्य, श्रम, बैंकिंग, कृषि आदि के सम्मिलित होंगे ।

कुलपति और प्रधान कुलनिदेशक द्वारा मनोनीत

14. सार्वजनिक जीवन क्षेत्र में विशेष योग्यता रखने वाले एक व्यक्ति कुलपति द्वारा मनोनीत होंगे ।

15. उपकुलपति की सिफारिश पर प्रधान कुलवेशिक द्वारा दो प्रतिष्ठित शिक्षावेत्ता मनोनीत होंगे ।

(2) मद 13, (14) और (15) के अन्दर विश्वविद्यालय के कालेज-विश्वविद्यालय विशेषाधिकार में प्रविष्ट संस्थाओं या प्रस्वीकृत अथवा संबंध संस्थाओं के कोर्ट कर्मचारी सदस्य बनने योग्य नहीं होंगे ।

(3) पदेन सदस्य सदस्यता से तब निवृत्त होंगे जब वे अपना कार्यालय सेवा से मुक्त होते हैं जो कि उनकी सदस्यता का विशेष गुण है ।

(4) कोर्ट के पदेन सदस्यों के सिवा बाकी अन्य सभी सदस्यों की पदावधि तीन वर्ष होगी ।

परिणाम स्वरूप संविधि 10 की उपधारा 4 का निम्न रूप में पुनः शब्द चयन होगा :—

10 (4) कोर्ट बैठक के लिए कुल सदस्यों में से एक तिहाई गुण पूरक संख्या मानी जाएगी ।

संविधि 11 का पुनः शब्द चयन निम्न प्रकार होगा :

कार्यकारिणी परिषद का संस्थापन और सदस्यों की पदावधि की संविधि

(अनुभाग 21 (2) अधिनियम)

कार्यकारिणी परिषद

(1) कार्यकारिणी परिषद में निम्नलिखित सदस्य समाविष्ट होंगे । अर्थात् :

1. उपकुलपति

2. वरिष्ठता के अनुसार घुमावदार के उपकुलपति द्वारा मनोनीत के निदेशक ।

3. वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रम से उपकुलपति द्वारा विद्यालयों के दो डीन नियुक्त होंगे ।

4. वरिष्ठता के आधार पर उपकुलपति द्वारा घुमावदार के क्रम से एक विभागाध्यक्ष मनोनीत होंगे जो डीन के पद पर न हों ।

5. वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रम से उपकुलपति द्वारा एक प्राचार्य नियुक्त होंगे जो न डीन या अध्यक्ष हों ।

6. वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रमानुसार उपकुलपति द्वारा एक उपाचार्य जो विभाग के अध्यक्ष न हों नियुक्त किए जाएंगे ।

7. उपकुलपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रमानुसार एक प्राध्यापक नियुक्त किए जायेंगे ।

8. कालेज के प्रधानाचार्य/निदेशक/विश्व विद्यालय विशेषाधिकार में प्रविष्ठ निदेशकों में से क्रमानुसार उपकुलपति द्वारा तीन सदस्य मनोनीत होंगे ।

9. विद्या क्षेत्र में सार्वजनिक जीवन में विशिष्ठिता रखने वाले चार व्यक्ति कुलाध्यक्ष द्वारा मनोनीत होंगे ।

(2) कार्यकारिणी परिषद के पदेन सदस्यों के सिवा बाकी अन्य सभी सदस्य मनोनीत होने की तारीख से तीन वर्ष तक पद में रहेंगे ।

(3) कार्यकारिणी परिषद की बैठक के लिए उसके कुल सदस्यों में से एक तिहाई (1/3) गणपूरक संख्या मानी जाएगी ।

संविधि 13 का निम्न प्रकार पुनः शब्द चयन होगा

विद्या परिषद के संस्थापन , और सदस्यों की पदावधि की संविधियां

[(अधिनियम के अनुभाग 22 (2)]

विद्या परिषद

1. विद्या परिषद में निम्नांकित सदस्य समाविष्ट होंगे ।

नामानुसार :

1. उपकुलपति

2. उपकुलपति द्वारा वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रमानुसार एक निदेशक मनोनीत होंगे जो कार्य कारिणी परिषद के सदस्य न होंगे ।

3. वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रमानुसार विद्यालयों के दो डीन जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य न हों उपकुलपति द्वारा मनोनीत होंग ।

4. वरिष्ठता के आधार पर घुमावदार क्रमानुसार मनोनीत छः विभागाध्यक्ष जो कार्यकारिणी परिषद के सदस्य न हों, उपकुलपति द्वारा मनोनीत होंगे ।

5. कार्यकारिणी परिषद के सदस्य न होने वाले चार प्रधानाचार्य/कालेज के निदेशक विश्वविद्यालयों विशेषाधिकार घुमावदार उपकुलपति द्वारा मनोनीत होंगे ।

6. उपकुलपति द्वारा विश्वविद्यालय के 6 प्राध्यापक घुमावदार क्रमानुसार मनोनीत होंगे ।

7. विद्या परिषद की सिफारिश पर विशिष्ठ ज्ञान प्राप्त दस व्यक्ति जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों उपकुलपति द्वारा मनोनीत होंगे परन्तु मद परन्तु मद (6) और (7) के अंदर मनोनीत करने में विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधित्व के लिए महत्व दिया जाए ।

(2) पदेन सदस्यों को छोड़कर विद्या परिषद के अन्य सभी सदस्यों को मनोनीत होने की तारीख से लेकर तीन वर्ष तक पदावधि होगी ।

(3) विद्या परिषद की बैठक क लिए विद्या परिषद के कुल सदस्यों में से एक तिहाई गण पूरक संख्या मानी जाएगी ।

अधिनियम के अनुभाग (18) में

संविधि 19 की उपधाराएं (1) और (2) और उसकी सारणी का पुनः शब्द चयन निम्न प्रकार है ।

19(1) विश्व विद्यालय द्वारा संचालित संस्थाओं के निदेशक, आचार्य, उपाचार्य, प्राध्यापक, कुल सचिव, वित्त अधिकारी, परीक्षाओं के नियंत्रक, पुस्तकपाल, कालेज के प्रधानाचार्य आदि पदों की नियुक्ति के लिए कार्यकारिणी परिषद को सिफारिश करने के लिए एक प्रवरण समितियां होंगी ।

(2) निम्नांकित सारणी के स्तंभ (1) में [विनिर्दिष्ट पदों की नियुक्ति के लिए प्रवरण समिति में उपकुलपति, कार्यकारिणी परिषद द्वारा नियुक्त कोई निदेशक, कुलाध्यक्ष द्वारा एक मनोनीत व्यक्ति और उस सारणी स्तंभ दो में तदनुरूप विनिर्दिष्ट दो व्यक्ति ।

सारणी

(1)	(2)
निदेशक	विश्व विद्यालय की सेवा में न रहनेवाले, अथवा कार्यकारिणी परिषद या विद्या परिषद के सदस्य न हों, जो कार्यकारिणी परिषद में मनोनीत न होंगे जिन विषयों के निदेशक के रूप में नियुक्त होने वाले हैं । विषयों में विशेष ज्ञान व अभिरुचि रखने वालों में से विद्या परिषद द्वारा सिफारिश किए जाने वाले कम से कम छः व्यक्तियों की नामिका में से तीन प्रतिष्ठित व्यक्ति नियुक्त किये जायेंगे ।
आचार्य	(1) संबंधित विभाग के अध्यक्ष अगर वे आचार्य हों । (2) उपकुलपति द्वारा एक आचार्य मनोनीत होंगे । (3) विश्व विद्यालय के कर्मचारी न होने वाले, कार्यकारिणी समिति द्वारा मनोनीत सिफारिश किये जाने वाले 6 व्यक्तियों वह नामिका में से जिस विषय के आचार्य होंगे उनकी विशेष अभिरुचि को ध्यान में रखकर नाम व्यक्ति ।

1	2
उपाचार्य/प्राध्यापक	(1) संबंधित विभागाध्यक्ष (2) उपकुलपति द्वारा एक आचार्य मनोनीत । (3) विश्वविद्यालय के कर्मचारी न होने वाले दो व्यक्ति जो विद्या परिषद द्वारा मनोनीत होंगे, छः व्यक्तियों की नामिका में से जिस विषय के उपाचार्य या प्राध्यापक हों तत्संबंधी विशेष अभिरुचि के आधार पर ।
कुल सचिव वित्त अधिकारी, परीक्षाओं के नियंत्रक	(1) कार्यकारिणी समिति के उसके द्वारा मनोनीत दो सदस्य । (2) विश्वविद्यालय के कर्मचारी न होने वाले कार्यकारिणी परिषद द्वारा मनोनीत ।
लेखापाल	(1) विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों, पुस्तकालय विज्ञान/पुस्तकालय प्रशासन के विशेष ज्ञान रखने वाले जो कार्यकारिणी परिषद द्वारा मनोनीत होंगे । (2) विश्वविद्यालय के कर्मचारी न हों, कार्यकारिणी परिषद द्वारा मनोनीत ।
विश्वविद्यालय से प्रशासित कालेज या संस्थाओं में प्रधानाचार्य	विश्व विद्यालय की सेवा में न रहने वाले तीन व्यक्ति जिनमें से कार्यकारिणी परिषद द्वारा दो मनोनीत होंगे, एक विद्या परिषद द्वारा मनोनीत होंगे कालेज या संस्थाओं द्वारा अनुदेश दिये जाते हों संबंधित विषय ज्ञान और अभिरुचि के आधार पर ।

टिप्पणी–1 : जहां अंतरा विषयक परियोजना के लिए नियुक्ति की जाती हो, परियोजना के अध्यक्ष विभागाध्यक्ष होंगे ।

टिप्पणी–2 : मनोनीत किये जाने वाले आचार्य जिस उद्देश्य से प्रवरण किये जाते हैं उसमें विशेषज्ञ होंगे और मनोनीत करने के पहले उपकुलपति विभागाध्यक्ष और विद्यालय के डीन से सलाह लेंगे ।

टिप्पणी–3 : प्रवरण समिति, कुलसचिव पद की नियुक्ति पांच वर्ष की पदावधि के लिए सिफारिश करेगी और उपकुलपति की सिफारिश पर कार्यकारिणी परिषद समान शर्त पर नवीकरण करेगी ।

परन्तु अखिल भारतीय सेवाधिकारी और केन्द्र सेवाधिकारी को प्रतिनियुक्ति के रूप में कुलसचिव पद की नियुक्ति के लिए कार्यकारिणी परिषद उपकुलपति की सिफारिश पर भारत सरकार के अनुबंध के आधार पर करेगा ।

टिप्पणी–4 : विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशन से पांडिचेरी विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी किसी आयोजित लेखा परीक्षण सेवा सेवा से प्रतिनियुक्ति के रूप में नियत होंगे ।

टिप्पणी–5 : इस तरह संस्थापित प्रवरण समिति आयोजित लेखा विभाग से प्राप्त गोपनीय रिपोर्ट, दस्तावेज तथा निजी मिसिल का संपरीक्षण करेगी, साक्षात्कार का प्रबन्ध करेगी, अगर जरूरत पड़े तो विश्वविद्यालय के वित्त अधिकारी के पद पर नियुक्त होने की सिफारिश करेगी। अन्य उपधारा में पूर्ववत् रहेंगा ।

हू० अपठनीय
सहायक रजिस्ट्रार (अकेडमीक)
पांडिचेरी विश्वविद्यालय, पांडिचेरी

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

नई दिल्ली–110003, दिनांक 31 अगस्त 1989

रिहंद सुपर थर्मल पावर स्टेशन–1 (2×500 मेगावाट) से संबद्ध पारेषण प्रणाली ।

संख्या 01/सचि/भा०/नो०/2—यथासंशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 (जिसे इसमें इसके पश्चात्, "अधिनियम" कहा गया है) के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा स्थापित नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड नई दिल्ली एक उत्पादन कंपनी है, जिसने पारेषण लाइनों व उप केन्द्रों आदि की स्थापना, निर्माण, प्रचालन एवं रख-रखाव के लिए एक योजना स्वीकृत की है जिसे भारत सरकार, नई दिल्ली के राजपत्र दिनांक 25 जनवरी, 1986 शनिवार (माघ 5, 1907) खंड–3 अनुभाग–4 में अधिनियम की धारा 28 (3) के तहत पंजीकृत संख्या डी : (डी एन)–73 के अनुसार विधिवत् अधिसूचित किया गया था । और यतः उत्पादन कंपनी ने कथित योजना में अतिरिक्त परिवर्तन किया है जो कि अधिनियम की धारा 29 (2) के अधीन जनवरी/फरवरी, 1988 में हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश व संघ राज्य दिल्ली से प्रकाशित राज्य सरकार के राजपत्रों में प्रकाशित हुआ है । इसके बाद जब यह योजना प्राधिकारी को अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, इसमें मलेरकोटला में एक 400 के० वी० उप केन्द्र शामिल किया गया था ।

1. योजना का नाम

यह योजना एन० टी० पी० एस० (2×500 मेगावाट) चरण–1 से संबद्ध संशोधित पारेषण प्रणाली के नाम से जानी जाएगी ।

2. केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण द्वारा संशोधित एवं उत्पादक कंपनी द्वारा स्वीकृति प्राप्त योजना की प्रमुख विशेषताएं :

इस योजना में संशोधन के मुख्य घटक निम्न हैं :—

1. दिल्ली-पानीपत, 400 के० वी०, ए० सी० सिंगल सर्किट पारेषण लाइन का दादरी-मनेरकोटला, 400 के० वी० ए० सी० एकल सर्किट पारेषण लाइन द्वारा और एन० सी० टी० पी० पी० (दादरी) उप स्टेशन-स्विच स्टेशन में मुराद नगर (उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड) की एल० आई० एल० ओ० पानीपत लाइन (सिंगरौली एस० टी० पी० से संबद्ध पारेषण प्रणाली के अधीन पहले ही कार्यान्वित) की प्रतिस्थापना ।

2. दिल्ली (कारवैल नगर) में सिंगल उप-केन्द्र की बजाय, बल्लभगढ़, दादरी और मंडौला में तीन उप-केन्द्रों के लिए उपबंध ।

3. बल्लभगढ़ को 400 के० व० की सीमावर्ती (टर्मिनल) उप-स्टेशन से, कानपुर की ए०सी० सर्किट लाइन से दादरी और मंडौला उप-स्टेशनों को 400 के० वी० ए० सी० क्वॉड-बंडल दोहरी सर्किट लाइनों द्वारा जोड़ा जाना ।

3. अनुमानित लागत

इस योजना के संशोधन की अनुमानित लागत रु० 120.03 करोड़ है ।

4. प्रारंभ करने की तारीख

आशा है कि इस योजना का कार्य मार्च, 1992 तक पूरा हो जाएगा ।

5. उत्पादन कंपनी की शक्तियां

यथासंशोधित विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 के अनुसरण में नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड इस अधिनियम के अंतर्गत उपरोक्त स्वीकृत योजना के लिए एक उत्पादन कंपनी को सौंपी गई शक्तियों का प्रयोग करेगा । यहां यह भी अधिसूचित किया जाता है कि अधिनियम, 1948 की धारा 42 के उपबंधों के अनुसार नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लिमिटेड, विद्युत के पारेषण

और वितरण से संबंधित पारेषण लाइनें, टावर, दीवार ब्रेकेट, टेक-उपकरण और साधनों के स्थापन या टेलीफोन अथवा टेलिग्राफी संचार के लिए उनका प्रयोग करेगी जो तार प्राधिकारी भारतीय तार अधिनियम, 1885 के भाग-3 के अधीन सरकार द्वारा स्थापित या चलाए गए अथवा इस प्रकार स्थापित किए जाने वाले या चलाए जाने वाले तार घर की बाबत रखेगा । इसके लिए भारतीय विद्युत अधिनियम, 1910 के 12 से 16 और 18 तथा 19 उपबन्धों के प्रावधान लागू नहीं होंगे ।

विद्युत (प्रदाय) अधिनियम, 1948 की धारा 28 (3) में विहित सांविधिक प्रावधानों के अनुसार यह यथासंशोधित स्वीकृत योजना एतद्द्वारा आम जनता की सूचना हेतु सरकारी राजपत्र में अधिसूचित की जाती है ।

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन लि० के आदेशानुसार

डी० के० बब्बर, कंपनी सचिव

BANK OF BARODA

INDUSTRIAL RELATIONS SECTION

PERSONNEL DIVISION

'HEAD OFFICE'

Baroda-390 006, the 12th July 1989

No. HO : OSR&IR : 27/108/1043.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Bank of Baroda in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976.

2. SHORT TITLE AND COMMENCEMENT

i. These regulations may be called the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline and Appeal) Regulations, 1976.

ii. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. AMENDMENT TO REGULATION 11

In the Bank of Baroda Officer Employees' (Discipline & Appeal) Regulations, 1976, in Regulation 11, the following is added :

"Provided that the officer employee may be given an opportunity of making representation on the penalty proposed to be imposed before any order is made."

J. N. TANDON, Dy. General Manager
(Personnel & IR)

VIJAYA BANK

HEAD OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

Bangalore-560 001, the 20th July 1989

No. 3952.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition and Transfer of Undertakings) Act, 1980 (40 of 1980), the Board of Directors of Vijaya Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the Vijaya Bank (Officers') Service Regulations, 1982.

2. *Short title and Commencement* :

(1) These regulations may be called the Vijaya Bank (Officers') Service (fourth amendment) Regulations, 1982.

(2) They shall come into force on the 20th August, 1988.

Regulation 23(i)

On and from 20-8-1988, Regulation 23(i) be substituted by the following :

"If he is serving in a place mentioned in column 1 of the Table below a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in column 2 thereof against that place."

Places	Rates
(1)	(2)
(a) Places in Area 1 and in the State of Goa.	10% of basic pay subject to a maximum of Rs. 200/- per month.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	6% of basic pay subject to a maximum of Rs. 120/- per month.

C. H. SREEDHARAN,
General Manager (Admn.)

SYNDICATE BANK

INDUSTRIAL RELATIONS DIVISION

PERSONNEL DEPARTMENT

HEAD OFFICE

Manipal, the 28th July 1989

No. 752/S/0090/PD:IRD.—In exercise of the powers conferred by Section 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of Syndicate Bank in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following Regulations further to amend the Syndicate Bank (Officers') Service Regulations, 1979.

2. *Short title and Commencement* :—

(i) These Regulation may be called the Syndicate Bank (Officers') Service (Amendment) Regulations, 1989.

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

(iii) Details of Amendments :—

The existing Regulation 23(i) shall be amended as follows : —

"On and from 20-8-1988, if he is serving in a place mentioned in Column 1 of the Table below, a City

Compansatory Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place.

Places	Rates
(a) Places in Area I and in the State of Goa.	10% of basic pay subject to a maximum of Rs. 200/- p.m.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	6% of basic pay subject to a maximum of Rs. 120/- p.m.

K. C. PAI
General Manager (P&S)

INDIAN BANK

CENTRAL OFFICE

PERSONNEL DEPARTMENT

Madras-600 001, the 25th August 1989

No. 13.—In exercise of the powers conferred by Sec. 19 of the Banking Companies (Acquisition & Transfer of Undertakings) Act, 1970 (5 of 1970), the Board of Directors of INDIAN BANK in consultation with the Reserve Bank of India and with the previous sanction of the Central Government hereby makes the following regulations further to amend the INDIAN BANK OFFICERS' SERVICE REGULATIONS, 1979.

2. *Short Title and Commencement*: These regulations may be called the Indian Bank Officers' Service Regulations, 1979. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. *Details of the Amendment to be Indicated*:

Regulation 23 (i)—An Officer shall be eligible for the following other allowances, namely :—

(i) On and from 20-8-1988, if he is serving in a place mentioned in Column 1 of the Table below, a City Compensatory Allowance at the rate mentioned in Column 2 thereof against that place.

Places	Rates
(a) Places in Area 1 and in the State of Goa.	10% of basic pay subject to a maximum of Rs. 200/- per month.
(b) Places with population of 5 lakhs and over and State Capitals and Chandigarh, Pondicherry and Port Blair not covered by (a) above.	6% of basic pay subject to a maximum of Rs. 120/- per month.

T. K. SUBRAMANIAN
Asstt. General Manager (PL)

THE INSTITUTE OF CHARTERED ACCOUNTANTS OF INDIA

Bombay-400 005, the 28th July 1989

No. 3WCA(8)/8/89-90.—In pursuance of clause (iii) of Regulation 10 (i) of the Chartered Accountants Regulations, 1988 it is hereby notified that the Certificate of Practice issued to the following Members shall stand cancelled from the dates mentioned against their names as they do not desire to hold their Certificate of Practice.

Sr. No.	M. No.	Name & Address	Dates
1.	994	Shri N.K. Dhabar, FCA, Imperial Mahal, Block B, 807, Dr. Ambedkar Road, Dadar, Bombay-400014.	13-7-89
2.	38260	Shri Nitin R. Desai, ACA, 8, Navsarjan, Opp. Dena Bank, Daftary Road, Malad (E), Bombay-400097.	12-7-89

M. C. NARASIMHAN
Secy.

EMPLOYEES' STATE INSURANCE CORPORATION

New Delhi, the 25th August 1989

No. U-16/53/(1)/89-Med.II(Maha)Col.I.—In pursuance of the resolution passed by ESI Corporation, at its meeting held on 25th April, 1951, conferring upon the Director General the powers of the Corporation under regulation 105 of the E.S.I. (General) Regulations 1950, and such powers having been further delegated to me vide Director General's Order No. 1024(G), dated 23-5-83, I hereby authorise Dr. (Mrs.) R. P. Rege PTMR Nasik to function as Medical Authority wef 1-10-89 for one year or till full-time Medical Referee joins, whichever is earlier for Nasik at a monthly remuneration in accordance with the existing norms for the purpose of medical examination of insured persons and grant of further certificates to them when the correctness of the original certificate is in doubt.

DR. K. M. SAXENA,
Medical Commissioner

MINISTRY OF COMMUNICATIONS

DEPARTMENT OF POSTS

New Delhi-1, the 25th August 1989

NOTICE

No. 25-22/89-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, Notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	NE-683-P EA-55	Shri Kanai Lal Barai	Rs. 10,000

No. 25-11/89-LI.—P.L.I. Policies particularised below having been lost from the Departmental custody, notice is hereby given that the payment thereof has been stopped. The Director, Postal Life Insurance, Calcutta, has been authorised to issue duplicate policies in favour of the insurants. The public are hereby cautioned against dealing with the original policies :—

Sl. No.	Policy No. & Date	Name of Insurant	Amount (Rs.)
1.	49693-C dated 4-6-1953 LP/70	Shri S.T. Peeran	5,000/-
2.	30718-C 23-6-1947	Do.	1,000/-

JYOTSNA DIESH
Director (PLI)

PONDICHERRY UNIVERSITY

Pondicherry, the 24th August 1989

No. PU/Aca?4/355/89/7559.—

To be inserted as Statute 1 in place of original Statute :—1

STATUTES ON THE APPOINTMENT OF CHANCELLOR

[Section 12(1) and 42(a) of the Act]

THE CHANCELLOR

1. (1) The Chancellor shall be appointed by the Visitor of Pondicherry University from a panel of not less than three persons recommended by the Executive Council from amongst persons of eminence in the academic or public life of the country.

Provided that if the Visitor does not approve of any of the persons so recommended, he may call for fresh recommendations from the Executive Council.

(2) The Chancellor shall hold office for a term of five years and shall be eligible for re-appointment.

Provided that notwithstanding the expiry of his term the Chancellor shall continue to hold office until his successor takes office.

To be inserted as new Statute 1(A) :—

NEW STATUTE ON THE APPOINTMENT OF THE VICE-CHANCELLOR

[Section 13 (1) and 42 (a) of the Act]

THE VICE-CHANCELLOR

1. (1) The Vice-Chancellor shall be appointed by the Visitor from a panel of not less than three persons, who shall be recommended by a committee as constituted under clause (2) and the panel shall be prepared in alphabetical order and shall not indicate any order of perference.

Provided that if the Visitor does not approve of any of the persons included in the panel, he may call for a fresh panel.

(2) The Commitee, referred to in clause (1) shall consist of three persons, none of whom shall be an employee of the University or a member of the Court, Executive Council, or Acadmic Council or connected with an Institution recognised by or associated with the University. Out of the three persons, two shall be nominated by the Executive Council and one by the Visitor and the nominee of the Visitor shall be the convenor of the Committee.

Other clauses shall remain as such.

To be inserted as New Statute and numbered as 10(A) :—

NEW STATUTE ON THE CONSTITUTION OF THE COURT

[Section 20 (1) of the Act]

THE COURT

(1) The Court shall consist of the following members, namely :—

Ex-officio Members :

(i) Vice-Chancellor

(ii) The Director of Studies, Educational Innovations and Rural Reconstruction

(iii) The Director of Culture & Cultural Relations.

(iv) The Director of Physical Educations, Sports, National Service & Students Welfare

(v) Two Deans of Schools to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority

(vi) Ten Heads of the Departments of the University to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority

(vii) Registrar

(viii) Librarian

(ix) Finance Officer

Representatives of Teachers

(x) Two Professors of the University who are not Deans of Schools, two Readers, who are not Heads of Departments of the University and two Lectures to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation according to seniority;

Representatives of Colleges/Institutions admitted to the privileges of the University

(xi) Five Principals/Directors of the Colleges/Institutions admitted to the privileges of the University to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation;

Representative of Parliament

(xii) Two members of Parliament, one to be nominated by the Speaker of the Lok Sabha and one by the Chairman of the Rajya Sabha;

Persons representing learned Professions and Special Interests

(xiii) Ten persons representing learned professions and special interests including representatives of Industry, Commerce, Labour, Banking, Agriculture, etc., to be nominated by the Visitor;

Nominees of the Chancellor and the Chief Rector

(xiv) One person of distinction from public life to be nominated by the Chancellor;

(xv) Two eminent educationists to be nominated by the Chief Rector on the recommendations of the Vice-Chancellor.

(2) No employee of the University or of a College/Institution admitted to the privileges of the University or recognised by or associated with the University shall be eligible to become a member under items (xiii), (xiv) and (xv).

(3) An ex officio member shall cease to be a member of the Court as soon as he vacates the office by virtue of which he is such a member.

(4) All the members of the Court other than the ex officio members shall hold office for a term of three years.

Consequently, sub-Section 4 of Statute 10 will be reworded as under :—

10 (4) One-third of the total members of the Court shall form quorum for a meeting of the Court.

Statute 11 will be re-worded as under .

STATUTE ON THE CONSTITUTION OF EXECUTIVE COUNCIL AND THE TERM OF OFFICE OF MEMBERS

(Section 21(2) of the Act)

THE EXECUTIVE COUNCIL

(1) The Executive Council shall consist of the following members, namely :

(i) Vice-Chancellor;

(ii) One Director by rotation according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor;

(iii) Two Deans of Schools by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor;

(iv) One Head of the Department of the University who is not a Dean, to be nominated by the Vice Chancelor by rotatio according to seniority;

(v) One Professor, who is not a Dean or Head by rotation according to seniority to be appointed by the Vice-Chancellor;

(vi) One Reader who is not a Head by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(vii) One Lecturer, by rotation according to seniority, to be appointed by the Vice-Chancellor;

(viii) Three persons from amongst the Principals/Directors of the Colleges/Institutions admitted to the privileges of the University to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation.

(ix) Four persons of distinction in academic and /or public life to be nominated by the Visitor.

(2) All members of the Executive Council, other than the *ex officio* members shall hold office for a period of three years from the dates of their nomination.

(3) One-third of the total members of the Executive Council shall form quorum for a meeting of the Executive Council.

Statute 13 will be re-worded as under :

STATUTES ON THE CONSTITUTION OF ACADEMIC COUNCIL AND THE TERM OF OFFICE OF MEMBERS

(Section 22(2) of the Act)

THE ACADEMIC COUNCIL

(1) The Academic Council shall consist of the following members, namely :

(i) Vice-Chancellor;

(ii) One Director who is not a member of Executive Council by rotation and according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor;

(iii) Two Deans of Schools who are not members of Executive Council by rotation and according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor;

(iv) Six Heads of Departments of the University, who are not members of Executive Council by rotation and according to seniority to be nominated by the Vice-Chancellor;

(v) Four Principals/Directors of the Colleges/Institutions admitted to the privileges of the University, who are not members of Executive Council to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation;

(vi) Six teachers of the University to be nominated by the Vice-Chancellor by rotation;

(vii) Ten persons, not in the service of the University, to be nominated by the Vice-Chancellor on the recommendation of the Academic Council for their special knowledge. Provided that in making nomination under item (vi) & (vii) due regard shall be given to the representation of different disciplines

(2) All the members of the Academic Council, except the *ex officio* members, shall hold office for a period of three years from the date of their nomination.

(3) One-third of the total members of the Academic Council shall form quorum for a meeting of the Academic Council.

Vide Section 18 of the Act

Sub-Sections (1) and (2) of Statute 19 and the table thereunder will be reworded as under :

19(1) There shall be Selection Committees for making recommendations to the Executive Council for appointment to the posts of Director, Professor, Reader, Lecturer, Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations, Librarian and Principals of Colleges and Institutions maintained by the University.

(2) The Selection Committee for appointment to the posts specified in column 1 of the Table below shall consist of the Vice-Chancellor, a Director (if any) appointed by the Executive Council, a nominee of the Visitor and the persons specified in the corresponding entry in column 2 of the said Table :

TABLE

1	2
Director	Not less than three eminent persons, not in the service of the University or members of the Executive Council or Academic Council to be nominated by the Executive Council out of a panel of not less than six names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subjects with which the Director to be appointed will be concerned.
Professor	(i) The Head of the Department concerned, if he is a Professor (ii) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor (iii) Three persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Professor will be concerned
Reader/ Lecturer	(i) The Head of the Department concerned (ii) One Professor to be nominated by the Vice-Chancellor

1	2
	(iiii) Two persons not in the service of the University, nominated by the Executive Council, out of a panel of names recommended by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, the subject with which the Reader or Lecturer will be concerned
Registrar, Finance Officer, Controller of Examinations	(i) Two members of the Executive Council nominated by it
	(ii) One person not in the service of the University nominated by the Executive Council
Librarian . .	(i) Two persons not in the service of the University, who have special knowledge of the subject of Library Science/ Library Administration to be nominated by the Executive Council
	(ii) One person not in the service of the University, nominated by the Executive Council
Principal of College or Institution maintained by the University	Three persons not in the service of the University of whom two shall be nominated by the Executive Council and one by the Academic Council for their special knowledge of, or interest in, a subject in which instruction is being provided by the College or Institution

NOTE 1—Where the appointment is being made for an interdisciplinary project, the Head of the project shall be deemed to be the Head of the Department concerned.

NOTE 2—The Professor to be nominated shall be a Professor concerned with the speciality for which the selection is being made and that the Vice-Chancellor shall consult the Head of the Department and the Dean of School before nominating the Professor.

NOTE 3—The Selection Committee shall recommend appointment to the post of Registrar on tenure basis for a period of five years and his tenure may be renewed for similar terms by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor

Provided that Officers of All-India Services and Central Services may be appointed on deputation to the post of Registrar by the Executive Council on the recommendations of the Vice-Chancellor on such terms and conditions as may be stipulated by the Government of India.

NOTE 4—In accordance with the guidelines received from the University Grants Commission, the Finance Officer in the Pondicherry University shall be appointed on deputation basis from an organised Accounts/Audit Service.

NOTE 5—The Selection Committee thus constituted shall scrutinise the C. R. Dossiers and Personal Files received from the organised Accounts Service, hold interview, if considered necessary, and make recommendations for appointment to the post of Finance Officer in the University.

Other sub-clauses shall remain the same.

Sd. ILLEGIBLE
Deputy Registrar (Academic)
Pondicherry University
PONDICHERRY

NATIONAL THERMAL POWER CORPORATION LTD.

(A Government of India Enterprise)

New Delhi-110 003, the 31st August 1989

Transmission System associated with Rihand STPS-I (2x500 MW).

Ref. No. 01 : SEC : GN : 2.—Whereas National Thermal Power Corporation Limited, New Delhi, a generating company set up by the Government of India under the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended (hereinafter referred to as 'The Act') has sanctioned a scheme relating to the establishment, construction, operation and maintenance of transmission lines & sub-stations etc. which was duly notified under Section 28 3) of the Act vide Registered No. D; (DN)-73 in The Gazette of India, New Delhi, dated, Saturday January 25, 1986 (Magha 5, 1907) Part III Section 4. And whereas the Generating Company has made additional changes in the said scheme, which has been published under Section 29 (2) of the Act in the State Gazette(s) of Haryana, Punjab, UP & U.T. of Delhi in the months of January/February, 1988. Thereafter, when the scheme was submitted to the Authority for approval, a 400 KV sub station at Malerkotla was included in the scheme.

1. *Name of the Scheme*

The scheme shall be called Revised Transmission System associated with Rihand STPS (2x500 MW) Stage-I.

2. *Salient features of the scheme as revised by CEA and sanctioned by the Generating Company*

The major elements of revision in the scheme are :—

(i) Replacement of Delhi-Panipat 400 KV AC single circuit transmission line by a 400 KV AC single circuit Dadri-Malerkotla transmission line with a 400KV sub-station at Malerkotla and LILO of Muradnagar (UPSEB) Panipat line (already implemented under transmission system associated with Singrauli STPP) at NCTPP (Dadri) sub-station/ switching station.

(ii) Provision of three sub-stations at : Ballabhgarh, Dadri & Mandaula instead of a single sub-station at Delhi (Karwali Nagar).

(iii) Linking Ballabhgarh, the terminal sub-station of the 400 KV AC single circuit line from Kanpur with Dadri and Mandaula sub-stations by 400 KV AC Quad-Bundle double circuit lines.

3. *Estimated Cost*

The estimated cost of the modification is Rs. 120.03 crores.

4. *Commissioning Schedule*

The work for the scheme is expected to be completed by March, 1992.

5. Powers of Generating Co.

In pursuance of the Electricity (Supply) Act, 1948 as amended, National Thermal Power Corporation Limited, shall exercise all the powers vested in a Generating Company under the Act for the purposes of aforesaid sanctioned scheme. It is also hereby notified that in terms of Section 42 of the Act, 1948, the National Thermal Power Corporation Limited, in undertaking and executing the sanctioned, shall have all the powers for placing of wires, wall-brackets, stays apparatus and other appliances for transmission and distribution of electricity or for transmission of telegraphic and telephonic communication necessary for the proper co-ordination of the works of the Generating Company in the area indicated above, which the Telegraphic Authority possesses under Part-III of the Indian Telegraph Act, 1885 in respect of a telegraph established or maintained by the Government or to be so established or maintained and the provisions of Section 12 to 16 and 18 and 19 of the Indian Electricity Act, 1910 shall not apply to the same.

In terms of the statutory provisions contained in Section 28 (3) of the Electricity (Supply) Act 1948, as amended the sanction of the modification in the Scheme is hereby notified to the general public by publication in the Official Gazette.

By the order of National Thermal Power Corpn. Ltd.

D. K. BEBBER
Company Secretary

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1989